एक सुरक्षित स्थान के रूप में स्कूल : हमारी स्थिति

अर्चना मेहेन्देले और स्वागता राहा

परिचय

शिक्षा के सार्वभौमिकरण और नीति पर सार्वजनिक रूप से जो चर्चाएँ होती हैं वे मुख्य रूप से स्कूलों तक पहुँच में सुधार और स्कूलों में बच्चों के टिके रहने तथा भागीदारी सुनिश्चित करने पर केन्द्रित रहती हैं। बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रमुख कार्यक्रम मुख्य रूप से शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं जिसके तहत सरकारी/पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश और निर्धारित बुनियादी ढाँचे और शिक्षकों वाले स्कूलों में प्रवेश के अधिकार की गारंटी दी गई है। हालाँकि, आरटीई अधिनियम और एसएसए शिक्षा के भीतर अधिकारों पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन स्कूलों के भीतर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से सम्बन्धित प्रावधान और यह सुनिश्चित करना कि स्कूल सुरक्षित स्थान बन जाएँ – ये सारी बातें विभिन्न अन्य क़ानूनों, सरकारी अधिसूचनाओं, कार्यक्रमों और केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में पाई जा सकती हैं। इस लेख में इन प्रावधानों पर चर्चा की गई है और वास्तव में जो कुछ हो रहा है व उसके बारे में हम जो जानते हैं, उसे प्रस्तुत किया गया है।

प्रावधान और क्रियान्वयन

बच्चों से सम्बन्धित क़ानून शारीरिक दण्ड, बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराध और स्कूलों में क्रूरता को सम्बोधित करते हैं। नीति के क्षेत्र में देखें तो मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए उल्लंघन या दुर्व्यवहार के मामलों के कारण परिपत्रों, दिशानिर्देशों और परामर्शों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए 2010 में कोलकाता के एक प्रमुख स्कूल में 13 वर्षीय लड़के ने अपने शिक्षक द्वारा पीटे जाने के बाद आत्महत्या कर ली।[1] तब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इसकी जाँच की और शारीरिक दण्ड पर दिशानिर्देश[2] का निरूपण हुआ, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा अपनाया गया।[3]

शारीरिक दण्ड

बच्चों के लिए मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 (1) में कहा गया है कि बच्चों को किसी भी तरह से शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाना चाहिए, हालाँकि इन शब्दों में से कोई भी शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली शिक्षा नियमों के प्रावधानों, जिनके अन्तर्गत शारीरिक दण्ड की अनुमति दी गई, ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन किया और उन्हें अस्वीकार किया।[4] उच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि 'राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि बच्चों को स्कूलों में शारीरिक दण्ड न दिया जाए और वे स्वतन्त्रता और गरिमापूर्ण माहौल में शिक्षा प्राप्त करें और भय से मुक्त रहें।'

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरटीई अधिनियम, 2009 (एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों के आधार पर) की धारा 35 (1) के तहत स्कूलों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के लिए दी गई सलाह, शारीरिक दण्ड की रोकथाम और निवारण तन्त्र पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।[5] इसमें शारीरिक दण्ड के अन्तर्गत (अ) शारीरिक दण्ड, (ब) मानसिक उत्पीड़न और

---

[1] *''एनसीपीसीआर चाहता है कि राज्य शारीरिक दण्ड पर दिशानिर्देशों का पालन करें'' इकोनॉमिक टाइम्स, 17 जुलाई, 2010, https://economictimes.indiatimes.com/news/राजनीति-और-राष्ट्र/एनसीपीसीआर-चाहता है कि-राज्य-से-शारीरिक दण्ड पर-दिशानिर्देशों का-पालन करें articleshow/6178764.cms*

[2] *एनसीपीसीआर., स्कूलों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के लिए दिशानिर्देश, http://www.ncpcr.gov.in/view_file.php?fid=108*

[3] *आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 35 (1) के तहत स्कूलों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के लिए एमएचआरडी,सलाहकार घोषणा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय http://www.education.goa.gov.in/MHRD%20Advisory%20for%20Eliminating%20Corporal%20Punishment%20in%20Schools.pdf पर उपलब्ध*

[4] *पेरेन्ट्स फोरम फॉर मीनिंगफुल एजुकेशन V. यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2001 दिल्ली 212*

[5] *http://www.education.goa.gov.in/MHRD%20Advisory%20for%20Eliminating%20Corporal%20Punishment%20in%20Schools.pdf पर उपलब्ध*

(स) भेदभाव को शामिल किया गया है और स्कूलों से यह अपेक्षा की गई है कि उनके पास परेशान करने वाले (उदाहरण के लिए कक्षा में अन्य बच्चों को परेशान करना, झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि) और ऐसे आक्रामक व्यवहार जिससे दूसरों को चोट या ज़ख़्म लगें (उदाहरण के लिए धमकाना, साथियों के प्रति आक्रामकता, चोरी करना, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करना, तोड़-फोड़ करना आदि) से निपटने हेतु शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्पष्ट आधिकारिक प्रक्रिया या प्रणाली (प्रोटोकॉल) होना आवश्यक है।[6] दी गई सलाह के अनुसार स्कूल प्रबन्धन को इस प्रकार के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिनसे शिक्षकों को शिक्षा के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, शारीरिक दण्ड का उन्मूलन और बच्चों के साथ सकारात्मक जुड़ाव की जानकारी मिल सके।

ऐसा होने पर भी एमएचआरडी या राज्य सरकारों द्वारा इस सलाह के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है और स्कूलों के लिए भी यह आँकड़ा सरकार को देना अनिवार्य नहीं है।

यौन उत्पीड़न

यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो अधिनियम) के तहत एक शैक्षिक संस्थान के प्रबन्धन या कर्मचारियों के द्वारा यौन कृत्य या यौन उत्पीड़न का आचरण एक गम्भीर अपराध है जिसके लिए गम्भीर दण्ड का प्रावधान है।[7] पॉक्सो अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न की सम्भावना या उसकी पक्की जानकारी रखता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसकी रिपोर्ट नजदीकी पुलिस थाने में दे।[8] यौन अपराध की रिपोर्ट न करना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए छह महीने तक का कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों दिए जा सकते हैं।[9] यदि किसी संस्था का प्रभारी अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी द्वारा किए गए अपराध की रिपोर्ट नहीं करता तो उस व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना हो सकता है।[10] स्कूलों के भीतर अगर कोई यौन हिंसा होती है और पुलिस में उसकी रिपोर्ट नहीं की जाती तो स्कूलों के मुख्याध्यापकों और ट्रस्टी के ख़िलाफ़ यह प्रावधान लागू किया गया है। इस बात पर क़ानूनी विवाद है कि रिपोर्ट करने में विफल होने पर किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कब मामला दर्ज किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने, एक स्कूल के मुख्याध्यापक के ख़िलाफ़ एक मामले में कहा कि बिना किसी सन्देह के प्राथमिक अपराध साबित होने के बाद ही रिपोर्ट न करने में विफलता के लिए किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।[11] मगर इस तर्क को बम्बई हाईकोर्ट ने उस मामले में ख़ारिज कर दिया जिसमें स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट के निदेशक ने पीड़ित और उसके रिश्तेदारों से कहा कि वे उस व्यक्ति के साथ यह मामला सुलझा लें जिसने कथित तौर पर पीड़ित के साथ बलात्कार किया था।[12] बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या से पॉक्सो अधिनियम का यौन अपराधों से बच्चों को बचाने का जो उद्देश्य है, वह नाकाम हो जाएगा।

राज्य सरकारें अभी भी पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संघर्षरत हैं। हालाँकि अधिनियम विशेष सरकारी अभियोजकों की बात करता है लेकिन ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। नियमित अभियोजक और सत्र न्यायालय अन्य आपराधिक मामलों के साथ इन मामलों से भी निपट रहे हैं।[13] इन अदालतों का डिज़ाइन बच्चों के लिए मित्रवत नहीं है या विकलांगजनों के लिए सुलभ नहीं है। जाँच और परीक्षण के दौरान बच्चे की सहायता के लिए सहायक व्यक्तियों का पैनल सभी ज़िलों में उपलब्ध नहीं है।[14] पीड़ित और गवाह संरक्षण प्रणाली की अनुपस्थिति में बच्चों और उनके परिवारों को आरोपी के दबाव और धमकी का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप वे कोर्ट में

---

[6] *आर.टी.ई.अधिनियम, 2009 की धारा 35 (1) के तहत स्कूलों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के लिए सलाहकार घोषणा, पैरा 7.1.13-14*

[7] *पॉक्सो अधिनियम, धारा 5 (एफ) 7,9 (एफ) और 10*

[8] *पॉक्सो अधिनियम, धारा 19 (1)*

[9] *पॉक्सो अधिनियम, धारा 21 (1)*

[10] *पॉक्सो अधिनियम, धारा 21 (2)*

[11] *कमल प्रसाद पाटडे V.छत्तीसगढ़ राज्य,रिट पेटिशन(Cr.)No.8 of 2016*

[12] *बालासाहेब @ सूर्यकांत यशवंतराव माने V. महाराष्ट्र राज्य, क्रिमिनल रिविज़न एप्लिकेशन न. 69 of 2017 22 मार्च 2017 को निर्णीत*

[13] *सोनिया परेरा और स्वागता राहा, स्ट्रक्चरल कम्प्लायन्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स विद द पॉक्सो एक्ट, 2012, CCL-NLSIU में अध्याय1. pp.*1&10, *पॉक्सो एक्ट का क्रियान्वयन, 2012 विशेष कोर्ट द्वारा : चुनौतियाँ और मुद्दे ; (2018) https://www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/posco2012spcourts.pdf पर उपलब्ध*

[14] सोनिया परेरा और स्वागता राहा,प्रोसीजरल कम्प्लायन्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स विद द पॉक्सो एक्ट, 2012, *CCL-NLSIU* में अध्याय 2ए pp.*11-*.29ए पॉक्सो एक्ट का क्रियान्वयन, 2012 विशेष कोर्ट द्वारा : चुनौतियाँ और मुद्दे (2018) *https://www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/ posco2012spcourts.pdf* पर उपलब्ध

अपने बयान वापस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष अदालतों के कामकाज पर एक अध्ययन से पता चलता है कि आठ मामलों में आरोपी एक शिक्षक था और छह मामलों में बच्चे पक्षद्रोही हो गए।[15] असम में इसी तरह के एक अध्ययन में कक्षा 2 के दो विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि एक शिक्षक ने उनके गुप्तांगों को छुआ था। किन्तु अदालत में विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक ने सभी बच्चों के प्रति स्नेह दिखाया था, यौन उत्पीड़न नहीं किया।[16] महाराष्ट्र में पॉक्सो विशेष अदालतों के 1330 निर्णयों के अध्ययन में 3% शिक्षक आरोपी पाए गए और इन मामलों में से 53% में पीड़ित बच्चे पक्षद्रोही हो गए।[17] जिन मामलों में आरोपी बच्चे पर अधिकार जताने की स्थिति में होते हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि स्कूल के भीतर भी मज़बूत समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता है ताकि बच्चे और परिवारों को बिना किसी डर और जबरदस्ती या दबाव के सुनवाई में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

क्रूरता

धारा 75, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के अनुसार बच्चों की देखरेख करने वाला या उन पर नियन्त्रण रखने वाला जो भी व्यक्ति अगर इस तरह से बच्चे पर हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा या जानबूझकर उपेक्षा करेगा जिससे बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो तो उसे अपराधी माना जाएगा। अगर अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे की देखभाल और सुरक्षा से सम्बन्धित किसी संस्था का कर्मचारी हो या खुद ऐसी संस्था चला रहा हो जैसे कि स्कूल तो सज़ा और भी गम्भीर होती है। आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत शारीरिक दण्ड देने के लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन जेजे अधिनियम के तहत यह प्रावधान स्कूलों में शारीरिक दण्ड के मामलों में भी भारतीय दण्ड संहिता के तहत अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है। वैसे शारीरिक दण्ड के अलावा बच्चों के ख़िलाफ़ किसी भी अपराध के सम्बन्ध में प्रावधानों को लागू करने में व्यावहारिक रूप से जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे इस प्रकार हैं कि क़ानूनी कार्यवाही बहुत लम्बी चलती है और बच्चे तथा बच्चे के परिवार को इस आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया से लेकर जाने के लिए समर्थन का अभाव है।

स्कूलों में बच्चों की सलामती और सुरक्षा पर सबसे व्यापक दिशानिर्देश, जिसमें रोकथाम तंत्र और निवारण प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं, 2014 का एमएचआरडी डी.ओ.[18] है जिसमें कहा गया है कि 'राज्य सरकार द्वारा किसी स्कूल को मान्यता/अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने के लिए या राज्य बोर्ड द्वारा किसी स्कूल को संबद्धता देने के लिए एक शर्त यह होनी चाहिए कि उस स्कूल का वातावरण निरापद और सुरक्षित एवं शारीरिक दण्ड और दुर्व्यवहार से मुक्त हो, साथ ही बच्चों की शारीरिक और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहाँ समुचित निवारक तंत्र भी हो।' स्कूल की चहारदीवारी, आपत्तिजनक सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने, पहुँच के लिए अच्छी सड़क, बसों का रंग, भवन सुरक्षा का परीक्षण, मौजूदा इमारतों की संरचनात्मक कमजोरियों को कम करने और हर स्कूल में आपदा की तैयारी तथा प्रतिक्रिया योजना स्थापित करने, शिक्षकों और कर्मचारियों के पूर्ववर्ती सत्यापन, शारीरिक सुरक्षा के अन्तर्गत बाल अधिकारों पर उनकी निरन्तर शिक्षा आदि पहलुओं के बारे में डी.ओ. में काफ़ी विस्तारपूर्वक बताया गया है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के तहत दिए हुए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं – पेयजल, इसका भण्डारण और शुद्धिकरण, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग और काम में आने लायक शौचालय, स्कूल परिसर और बच्चों में सामान्य स्वच्छता की नियमित निगरानी, मध्याह्न भोजन के सुरक्षित और पौष्टिक तरीक़े से खाना बनाने के लिए रसोइए और सहायकों का प्रशिक्षण, बीमारियों, कमियों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए शिक्षकों द्वारा निवारक प्रयास और सतर्कता। यौन दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों का यह आदेश है कि बच्चों को 'अच्छे' स्पर्श और 'बुरे' स्पर्श के बीच का अन्तर सिखाया जाए, उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्कूल प्रबन्धन समिति स्कूल का ऐसा अनुकूल वातावरण बनाए जिसमें बच्चे अनुचित व्यवहार की शिकायत कर सकें।

कुछ राज्य सरकारों ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की रक्षा

---

[15] CCL-NLSIU दिल्ली में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष अदालतों के कार्य पर अध्ययन की रिपोर्ट, 29 जनवरी 2016, p.68 https: //www.nls ac.in/ccl/jjdocuments/specialcourtPOSCOAct2012.pdf पर उपलब्ध

[16] *CCL-NLSIU,* असम में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष अदालतों के कार्य पर अध्ययन, 13 फरवरी 2017, *p.*51 *https://www.nls.ac.in/ ccl/jjdocuments/studyspecialcourtassamPOSCOAct2012.pdf* पर उपलब्ध

[17] *CCL-NLSIU,* महाराष्ट्र में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष अदालतों के कार्य पर अध्ययन, 7 सितम्बर 2017, *pp..67* 69 *pp..67, 69 https: // www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/POSCOMaharashtrasummary.pdf* पर उपलब्ध

[18] *D-O- संख्या 10-11 @ 2014-ईई.4 दिनांक 9 अक्टूबर 2014*

के लिए विशिष्ट क़ानून अपनाया है। उदाहरण के लिए, मई 2014 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।[19] यह सिद्धान्तों, भर्ती के लिए दिशानिर्देशों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, स्कूलों के भीतर बाल संरक्षण सुरक्षा उपाय जिसमें बाल संरक्षण नीति शामिल है और शिकायत तंत्र को निर्दिष्ट करता है। ये दिशानिर्देश उपचारात्मक हस्तक्षेप भी प्रदान करते हैं जैसे परामर्श सेवाएँ और साथ ही संस्थाओं के भीतर परामर्श केन्द्रों को स्थापित करने की सिफ़ारिश करते हैं। पर ये दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों की पृष्ठभूमि में, 2016 में, कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2016[20] को इसलिए पारित किया गया ताकि स्कूल की गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी और विनियमन करने के लिए पुलिस को सशक्त बनाया जा सके। धारा 31 (1), जो पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक स्थानों पर आदेश के संरक्षण के आदेश देने के लिए अधिकार देता है, को क्लॉज (ज़ेडए) शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा उन्हें 'बच्चों की निरापदता और सुरक्षा के विनियमन, नियंत्रण और निगरानी' के आदेश देने का अधिकार दिया गया था। वैसे तो किसी भी केन्द्रीय क़ानून में स्कूल सुरक्षा का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 को 2017 में विद्यार्थियों की निरापदता व सुरक्षा के प्रावधानों और दण्ड अनुज्ञाओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था और ज़िला शिक्षा नियामक प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया कि अगर कोई संस्था उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करे तो वह किसी सुयोग्य अधिकारी से संस्थाओं की मान्यता या संबद्धता की वापसी के लिए सिफ़ारिश कर सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कर्नाटक के सरकारी मान्यता प्राप्त अँग्रेज़ी माध्यमिक विद्यालयों के संयुक्त प्रबन्धन द्वारा उपर्युक्त संशोधन की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह पॉक्सो अधिनियम और बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005[21] जैसे केन्द्रीय कानूनों की अवहेलना करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए ग़ैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल को अपने क्षेत्र के तहत लाता है।[22] इसलिए इन प्रावधानों की प्रयोज्यता पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है क्योंकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। पुलिस सुरक्षा को लागू करने के लिए पुलिस को दिए गए अधिकार के बारे में भी सरोकार पेश किए गए हैं क्योंकि अधिकारियों की बहुतायत और उनके दिशानिर्देश स्कूलों को भ्रमित कर सकते हैं।

स्कूल सुरक्षा और क्रियान्वयन के प्रावधानों पर पूर्वगामी चर्चा के आधार पर हम देखते हैं कि विधायी ढाँचा केवल दण्डात्मक है, जबकि नीति का समग्र ढाँचा रोकथाम के साथ-साथ उल्लंघन को रोकने की प्रणाली पर केन्द्रित है। व्यवस्थित रूप से नीति के ढाँचे के आकलन और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की निगरानी के लिए कोई तरीक़ा नहीं है। साथ ही विभिन्न परिपत्रों और नीतियों के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के परिणामों पर स्पष्टता की कमी भी है।

मुद्दे

सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि इतने सारे नए क़ानूनों, नीतियों और दिशानिर्देशों को अपनाने के बावजूद अभी भी कई बातों को लेकर स्पष्टता की कमी है। जैसे शिक्षकों, कर्मचारियों व प्रबन्धन के बीच किस तरह की साझा ज़िम्मेदारी हो और कौन किस काम के लिए उत्तरदायी है, जब बच्चे स्कूल आते हैं या स्कूल से लौटते हैं तो उस दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। और सबसे महत्त्वपूर्ण बात वे मूल आवश्यकताएँ हैं जिनकी व्यवस्था स्कूलों को करनी है जैसे निवारक और सुरक्षात्मक उपाय, कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जाँच, निरीक्षण के चैनल और रिपोर्टिंग और ऐसा करने में विफल होने पर उसके परिणाम। अब चूँकि इन्हें सलाह और दिशानिर्देशों के रूप में जारी किया जाता है इसलिए स्कूल इन्हें अनिवार्य नहीं मानते हैं और न ही उन्हें यह लगता है कि इनका पालन नहीं होने पर उन्हें किसी तात्कालिक ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश प्रावधानों में न केवल मानसिकता, दृष्टिकोण और स्कूलों की व्यवस्था करने को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव लाने की ज़रूरत है, बल्कि उनमें से कई ऐसे हैं जिनके लिए धन की आवश्यकता भी पड़ती है। इसके अलावा क्या ये निर्देश किसी सरकारी स्कूल या निजी स्कूल, एक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र या एक विशेष विद्यालय, आश्रमशाला या एक अन्तरराष्ट्रीय स्कूल के हिसाब से बदलेंगे? दूसरे शब्दों

---

[19] *http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/983d42804f4cf70fb7e3bf1e0288d2b8/DCPCR+guidelines+14052014pdf?MOD=AJPERES&lmod=301782569* पर उपलब्ध

[20] *http://dpal.kar.nic.in/ao2016/22%20of%202016%20(E).pdf* पर उपलब्ध

[21] WP 33161/2017; स्कूल्स चैलेंज एमेंडमेंट टु कर्नाटका एजुकेशन एक्ट, डेक्कन हेरल्ड, 26 जुलाई 2017, https://www.deccanherald.com/content/624719/schools-challenge-amendment-karnataka-education.html

[22] *एच सी नोटिस टु स्टेट ऑन एमेंडेड कर्नाटका एजुकेशन एक्ट, द हिन्दू, 25 जुलाई 2017,* http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/hc-noticeto-state-on-amended-karnataka-education-act/article19360210.ece

में न केवल इन मौलिक मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है, बल्कि यह तथ्य भी उपेक्षित ही रह गया है कि जहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं उन्हें विशेष रूप से अलग-अलग संस्थाओं की परिस्थिति के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

दूसरा, भले ही स्कूलों को सरकारी अधिसूचनाएँ और दिशानिर्देश प्राप्त हों, फिर भी इन नीतिगत प्रावधानों के अस्तित्व के बारे में सामान्य रूप से माता-पिता और विशेष रूप से माता-पिता-शिक्षक संघों तथा स्कूल प्रबन्धन समितियों के बीच जागरूकता की कमी है। नतीजतन, ये प्रमुख हितधारक स्कूल को उत्तरदायी ठहराने और इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने में असमर्थ हैं।

तीसरा, यह मानना महत्त्वपूर्ण होगा कि स्कूल वे संस्थाएँ हैं जहाँ पदानुक्रम, आज्ञाकारिता और मौनत्व के सम्मान को प्रमुखता दी जाती है और इस रूप में वहाँ उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक अत्यधिक विशेष व सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विद्यालय के भीतर अगर बच्चे का यौन शोषण होता है तो यह बात बाहर होने वाले इस तरह के अपराधों से अलग है। जब बच्चे के साथ विश्वास और अधिकार की स्थिति वाले लोग ख़ुद अपराध करते हैं या जब स्कूल में बच्चे उनकी देखरेख में होते हैं और तब उनके साथ दुर्व्यवहार या हिंसा होती है तो लोको पेरेंटिस नियम (किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा माता-पिता के कुछ कार्यों और ज़िम्मेदारियों को लेने की क़ानूनी ज़िम्मेदारी।) के अनुसार उनका दायित्व और बढ़ जाता है। हालाँकि स्कूलों की इसी पदानुक्रमिक सम्बन्ध और मौनत्व की संस्कृति के कारण प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना मुश्किल हो जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बाल शोषण पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 13 राज्यों (इसमें कर्नाटक शामिल नहीं था) के पाँच श्रेणियों से सम्बन्धित 12,447 बच्चों का साक्षात्कार किया गया। ये पाँच श्रेणियाँ थीं– पारिवारिक वातावरण में रहने वाले बच्चे, स्कूलों के बच्चे, संस्थाओं के बच्चे, काम करने वाले बच्चे और सड़क पर रहने वाले बच्चे। इस रिपोर्ट के अनुसार, 52.94% लड़कों और 47.06% लड़कियों ने माना कि उन्हें किसी-न-किसी तरह के यौन शोषण का सामना करना पड़ा था और स्कूल जाने वाले आधे बच्चों का यौन शोषण किया गया था लेकिन उनमें से अधिकतर ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी।

यह रिपोर्ट भी हमें स्कूलों में होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा के बारे में बहुत अधिक नहीं बताती है। तो सवाल उठता है कि आखिर हम स्कूलों के भीतर होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा के बारे में पर्याप्त रूप से क्यों नहीं जानते? इसीलिए हमें स्कूलों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दुर्व्यवहार व हिंसा दिखाने वाले चैनलों पर सवाल उठाना पड़ता है। विद्यालयों में पदानुक्रम, आज्ञाकारिता और मौन रहने की संस्कृति को देखते हुए हम यह कैसे जानें कि स्कूल के दौरान किसी बच्चे के ख़िलाफ़ कोई अपराध किया गया है? जब हम हाल के दिनों में मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि केवल वे मामले प्रकाश में आते हैं जिसके बारे में बच्चे ने माता-पिता या अन्य भरोसेमन्द वयस्कों को बताया है या माता-पिता ने उनकी चोटों और/या व्यवहार में बदलाव देखा है।

अन्त में हम यह देखते हैं कि स्कूलों के भीतर बच्चों की सुरक्षा के विषय पर क़ानूनी और नीतिगत ढाँचे धीरे-धीरे उभर रहे हैं। स्कूलों के अनुपालन के प्रभावों के बारे में अधिक स्पष्टता होनी चाहिए और माता-पिता और एसएमसी के बीच अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

भले ही निर्धारित मानदण्डों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को सरकारी विनियमन की आवश्यकता हो, एसएमसी और माता-पिता को उत्प्रेरित करके स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मूल स्तर पर निगरानी करने की ज़रूरत है।

अर्चना मेहेन्देले एक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं जो बाल अधिकार और शिक्षा अधिकार के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके पहले वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ कार्यरत थीं। उनसे *mehendalearchana@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है।

स्वागता राहा बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्वतंत्र क़ानूनी शोधकर्ता हैं। उन्होंने वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूरिडिकल साइंसेज से बीए एलएलबी (ऑनर्स) तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। उनसे *swagataraha@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल